भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5702
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में भारतीय छात्रों पर हमले

5702. श्री तनुज पुनियाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को विदेश में भारतीय छात्रों के विरुद्घ हिंसा की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कितने भारतीय छात्रों की मृत्यु हुई है; और
(ग) विदेश में भारतीय छात्रों के विरुद्घ हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश में हिंसा का सामना करने वाले भारतीय छात्रों की देश-वार संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों में जिन भारतीय छात्रों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ग) विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा एवं संरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र अपने-अपने मान्यता प्राप्त देशों में भारतीय छात्रों के विरुद्ध किसी भी अप्रिय घटना के प्रति सतर्क रहते हैं तथा उस पर कड़ी निगरानी रखते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, यदि कोई हो, को तत्काल मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों की उचित जांच की जाए तथा अपराधियों को दंडित किया जाए। इन मुद्दों को संबंधित देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ यथोचित उच्चतम स्तर की बैठकों सहित अन्य बैठकों में भी उठाया जाता है। सरकार विश्व के विभिन्न देशों में ऐसी समकालीन राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति पर भी नजर रखती है, जिसका विदेशों में छात्रों सहित भारतीयों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, और उनके हितों एवं कल्याण की रक्षा के लिए सभी संभव उपाय करती है।

विदेश में भारतीय छात्रों की शिकायतों को भारतीय मिशन/केंद्र प्राथमिकता के आधार पर निपटाते हैं और इसका उत्तर टेलीफोन कॉल, वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस और मदद पोर्टल के माध्यम से लगभग वास्तविक समय के आधार पर दिया जाता है और व्यथित छात्रों को, जब भी आवश्यकता होती है, हर संभव कोंसली सहायता प्रदान की जाती है जिसमें आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और भोजन/आवास सुविधा शामिल है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र उच्च अध्ययन

हेतु विदेश यात्रा करने वाले भारतीय छात्रों को मदद पोर्टल पर उनका पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनकी शिकायतों और लंबित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल किया जा सके। भारतीय छात्रों को नियमित आधार पर भारतीय मिशन/केंद्रों के साथ जुड़े रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनसे प्राप्त किसी भी शिकायत को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान और मेजबान सरकार के साथ, जैसा भी मामला हो, अपेक्षित कार्रवाई के लिए उठाया जा सके।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडबल्यूएफ़) की स्थापना विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में भारतीय छात्रों सहित संकट की स्थिति में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत दी जाने वाली सहायता में कानूनी सहायता, परामर्श और विदेश में मरने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को वापस लाने की सुविधा भी शामिल है।

अनुबंध– क

पिछले 5 वर्षों में भारतीय छात्रों पर हुए हिंसक हमलों और उनमें हुई मौतों की संख्या पर प्राप्त देश-वार जानकारी

क्र. सं.	देश का नाम	हिंसक हमलों की कुल संख्या	हमलों के कारण हुई मृत्यु की संख्या
1	ऑस्ट्रेलिया	4	1
2	यूएसए	9	9
3	यूके	12	1
4	इटली	3	0
5	रूस	15	0
6	कनाडा	27	16
7	आयरलैंड	4	0
8	ईरान	1	0
9	जर्मनी	11	1
10	चीन	1	1
11	किर्गिस्तान	1	1
12	फिलीपींस	3	0
कुल		91	30

*****